

झारखण्ड सरकार  
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(सहकारिता प्रभाग)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या-1/स्था0राज0(स्थाना0)-08/2012 सह0-1481/राँची, दिनांक-29/11/2022  
श्री चन्द्रदेव रंजन, उप निबंधक, स0स0 को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1283 दिनांक-12.10.2022 द्वारा संयुक्त निबंधक, स0स0 के पद पर नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान धारित पद संयुक्त निबंधक, स0स0, उ0छे0प्र0, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अधिसूचना संख्या-1/स्था0राज0(स्थाना0)-08/2012 सह0-1482/राँची, दिनांक-29/11/2022  
श्री देवेन्द्र सिंह, सहायक निबंधक, स0स0 को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1284 दिनांक-12.10.2022 द्वारा उप निबंधक, स0स0 के पद पर नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान धारित पद प्रमण्डलीय उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, उ0छे0प्र0, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित करते हुए प्रबंध निदेशक, झास्कोलैम्फ, राँची का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

अधिसूचना संख्या-1/स्था0राज0(स्थाना0)-08/2012 सह0-1483/राँची, दिनांक-29/11/2022  
श्री जयप्रकाश शर्मा, सहायक निबंधक, स0स0 को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1285 दिनांक-12.10.2022 द्वारा उप निबंधक, स0स0 के पद पर नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान धारित पद उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय-निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अधिसूचना संख्या-1/स्था0राज0(स्थाना0)-08/2012 सह0-1484/राँची, दिनांक-29/11/2022  
श्री लुईस टोपो, सहायक निबंधक, स0स0 को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1286 दिनांक-12.10.2022 द्वारा उप निबंधक, स0स0 के पद पर नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रभारी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अधिसूचना संख्या-1/स्था0राज0(स्थाना0)-08/2012 सह0-1485/राँची, दिनांक-29/11/2022  
श्री राकेश कुमार सिंह, सहायक निबंधक, स0स0 को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1287 दिनांक-12.10.2022 द्वारा उप निबंधक, स0स0 के पद पर नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान धारित पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (अवकाश प्रशिक्षण रक्षित), कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, राँची को उप निबंधक, स0स0 कोटि में उत्क्रमित करते हुए सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (अवकाश प्रशिक्षण रक्षित), कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, राँची में पदस्थापन के साथ राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई0सी0डी0पी0 कोषांग, राँची का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

02. जिन पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उन्हें अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई आर्थिक लाभ देय नहीं होगा।

03. सभी प्रोन्नत/स्थानान्तरित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे 7 (सात) दिनों के अन्दर अपने प्रोन्नत/स्थानान्तरित स्थान पर योगदान देते हुए प्रभार प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।




04. जिस पदाधिकारी के स्थान पर किसी पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है किन्तु उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, ऐसे पदाधिकारी विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

अतः झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 6(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल अधिसूचना में उल्लिखित सभी पदाधिकारियों को स्तम्भ-3 में वर्णित शक्ति सीमा के अधीन उक्त अधिनियम एवं झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 1959 के अन्तर्गत निबंधक सहयोग समितियाँ की वे शक्तियाँ प्रदत्त करते हैं, जो नीचे स्तम्भ-2 में अंकित हैं:-

क्र०	शक्तियाँ	शक्ति सीमा
1	2	3
1	झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 8(1)B, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 25, 35, 36 एवं 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक सहयोग समितियाँ के संबंध में एवं धारा 34, 48 (उप धारा 6 एवं 8 को छोड़कर) 50, 52, 54 एवं 58 के अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली सभी शक्तियाँ तथा झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 1959 की तत्संबंधी नियमों के अधीन निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ	उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ की सारी शक्तियाँ
2	झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की धारा 26, 44(5), 48(6), 48(8) एवं 56 को छोड़कर अन्य सारी शक्तियाँ एवं झारखण्ड सहकारी सोसाईटी नियमावली 1959 के नियम-37, 38 एवं 39 को छोड़कर नियम 20, 22, 23, 24 एवं 25 सहित अन्य सारी शक्तियाँ।	उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर जिला सहकारिता पदाधिकारी की सारी शक्तियाँ
3	झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की धारा 26 एवं 56 को छोड़कर अन्य सारी शक्तियाँ।	उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर उप निबंधक, सहयोग समितियाँ की सारी शक्तियाँ
4	झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की धारा 26 एवं 56 को छोड़कर अन्य सारी शक्तियाँ।	उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ की सारी शक्तियाँ


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
(रविरंजन कुमार विक्रम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था०राज०(स्थाना०)-08/2012 सह०-1485 /राँची, दिनांक-29/11/2022

प्रतिलिपि:-अधीक्षक मुद्राणालय डोरण्डा, राँची को राजपत्र के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ एवं उसकी 25 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था०राज०(स्थाना०)-08/2012 सह०-1485 /राँची, दिनांक-29/11/2022

प्रतिलिपि:-महालेखाकार झारखण्ड, राँची/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

झापांक-1/स्था0राज0(स्थाना0)-08/2012 सह0-.....1485 /राँची, दिनांक-.....29/11/2022

**प्रतिलिपि:-**महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निबंधक सहयोग समितियाँ झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित)/सभी उप निबंधक सहयोग समितियाँ झारखण्ड/राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी आई0सी0डी0पी0, झारखण्ड/अध्यक्ष झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, राँची/सभी महाप्रबंधक आई0सी0डी0पी0, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, वेजफेड/झास्कोलैम्पफ/झाम्फकोफेड/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियाँ, झारखण्ड/सभी सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।